फार्म नम्बर III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** मुकाम **ओसियां**

**झुमरराम *बनाम* बाबूराम वगैरा**

किस्म मुकदमा **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र** नम्बर ..........134.......... सन् **2021**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 2/10/21 | प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 672/1 रकबा 13.2737 हैक्टेयर, ग्राम धालियानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 तथा प्रार्थी व अन्य भाई बहनों का समान रूप से जन्म से हक व अधिकार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पिता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ समान रूप से सहदायिकी के रूप में हक बनता हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक संयुक्त हक अधिकार सुदा भूमि है जिसके राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज है जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का भी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ 1/6 हिस्से के रूप में हक व अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी का अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करके जीवन यापन करता है। परन्तु वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने हेतु उतारू है तथा प्रार्थी को अपनी पुश्तैनी भूमि से महरूम करना चाहते है।<br><br>प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।<br><br>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है। आयन्दा पेशी तक अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 672/1 रकबा 13.2737 हैक्टेयर, ग्राम धालियानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण नहीं करें।<br><br>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते ईन्तजार तलबी हेतु दिनांक....01/11/21...... को पेश हो।<br><br>सहायक कलक्टर, ओसियां | |

01/11/21 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन [illegible] कार्यों में व्यस्त होने [illegible] पत्रावली [illegible] 15/03/22

15/3 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यस्त होने [illegible] नियत [illegible] 9/5/22

9/5/22 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने [illegible] पत्रावली नियत [illegible] पेश हो। ज्ञात है 27/6/22

27/6 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने [illegible] पत्रावली नियत [illegible] पेश हो। ज्ञात है 25/7/22

4/7/22 पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् पत्रावली तलब का वाद पत्र जरिए राजीनामा विड्रोल पर तलब की गई। प्रार्थी आदित्य मेहता ने कथन करवाया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है नए वाद के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए विड्रोल का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया अतः नए वाद के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पत्रावली जरिए विड्रो खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

[illegible]